धनी राम गुप्ता और अन्य

बनाम

लाला श्री राम और अन्य

7 दिसंबर, 1979

[वी.आर. कृष्णा अय्यर, आर.एस. पाठक और ओ.चिनाप्पा रेड्डी, जेजे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का V), आदेश XXI नियम 16 - डिक्री का समनुदेशन – समनुदेशी द्वारा डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन - ऐसे आवेदन की सूचना के बाद निर्णित-ऋणी और मूल डिक्री-धारक के बीच समायोजन - डिक्री का निष्पादन चाहे वर्जित हो।

अपीलार्थी जो संपत्ति के पुनः प्राप्त करने के लिए एक समझौते के विशिष्ट अनुपालना के लिए एक डिक्री के समनुदेशित थे, उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI, नियम 16 के तहत डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया। आवेदन की सूचना प्रत्यर्थी-निर्णित ऋणी के साथ-साथ मूल डिक्री-धारक को भी जारी की गई थी। निर्णित ऋणी ने यह तर्क देते हुए आपत्तियाँ दायर कीं कि निष्पादन आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं था। आवेदन समय-समय पर स्थगित किया जाता था। इस बीच मूल डिक्री-धारक और निर्णित-ऋणी ने डिक्री की पूरी संतुष्टि दर्ज करने के लिए निष्पादन न्यायालय का रुख किया, जिसमें कहा गया कि उन्होंने एक समझौता किया था और डिक्री को नकद में एक निश्चित राशि के भुगतान से संतुष्ट करने का प्रस्ताव था। निर्णित ऋणी द्वारा खुले न्यायालय में मूल डिक्री-धारक को नकद में धन का भुगतान किया गया था और डिक्री की संतुष्टि निष्पादन न्यायालय द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें यह भी कहा गया था कि समझौते का अंतरिती डिक्री-धारक के अधिकारों,

यदि कोई हो, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसने पहले ही समनुदेशन के विलेख के अनुसार निष्पादन आवेदन दायर कर दिया था। इसके बाद अपीलार्थियों द्वारा दायर निष्पादन आवेदन पर विचार किया गया और इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि निर्णित-ऋणी द्वारा मूल डिक्री-धारक को उसके साथ समझौता करके संतुष्ट करने के बाद समनुदेशकों को डिक्री को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था।

अपील में, जिला न्यायालय ने निर्धारित किया कि अपीलार्थियों को डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार है और समनुदेशन की तारीख के बाद और समनुदेशन की सूचना के साथ निर्णित-ऋणी और मूल डिक्री-धारक के बीच किए गए सांठगांठ वाले समझौते से उनके अधिकार को पराजित नहीं किया जा सकता है।

निर्णित-ऋणी द्वारा उच्च न्यायालय में आगे की अपील में, यह निर्धारित किया गया था कि डिक्री के समनुदेशक को डिक्री को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि कार्य को न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और जब तक वह नहीं किया जाता है, तब तक मूल डिक्री धारक के लिए डिक्री को निष्पादित करने के लिए खुला है और निर्णित-ऋणी के लिए यह भी खुला है कि वह डिक्री धारक को भुगतान करके या अन्य समायोजन द्वारा डिक्री को पूरी तरह से संतुष्ट करे।

इस न्यायालय में इस प्रश्न पर डिक्री के समनुदेशकों द्वारा की गई अपील में कि क्या निर्णित ऋणी और स्थानांतरितीकर्ता डिक्री-धारक के बीच डिक्री का समायोजन अंतरिती द्वारा डिक्री के निष्पादन को बाधित करता हैः

अभिनिर्धारित किया :

1. उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करना गलत था कि आदेश XXI, नियम 16 के तहत आवेदन की सूचना के बाद भी निर्णित-ऋणी और अंतरिती डिक्री-धारक के

बीच समायोजन अंतरण पर लागू किया गया था और निर्णित ऋणी अंतरण द्वारा डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाता था। [475 डी]

2. एक डिक्री में संपत्ति को समनुदेशन के विलेख के तहत अंतरिती को पारित करना चाहिए जब समनुदेशन के विलेख के पक्षकार ऐसी संपत्ति को पारित करने का इरादा रखते हैं। यह अंतरण न्यायालय की मान्यता पर निर्भर नहीं करता है। आदेश XXI नियम 16 में न तो स्पष्ट रूप से और न ही निहितार्थ से यह प्रावधान है कि एक डिक्री का समनुदेशन तब तक प्रभावी नहीं होता है जब तक कि न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। [473 डी]

3. जबकि आदेश XXI नियम 16 अंतरिती को डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है, आदेश XXI नियम 16 का पहला परंतुक यह आदेश देता है कि इस तरह के आवेदन की सूचना अंतरणकर्ता और निर्णित ऋणी को दी जाएगी और डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इसके निष्पादन के लिए उनकी आपत्तियों, यदि कोई हो, को नहीं सुनती है। [473 ई]

4. मूल डिक्री-धारक और स्थानांतरिती के बीच अंतरण समनुदेशन के विलेख द्वारा प्रभावित होता है। यदि निर्णय-ऋणदाता को अंतरण की सूचना है, तो उसे अंतरिती के साथ समायोजन करके स्थानांतरिती के अधिकारों को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि निर्णित-ऋणी को अंतरण की कोई सूचना नहीं है और आदेश XXI नियम 16 के तहत उसे नोटिस देने से पहले अंतरिती के साथ समायोजन करता है तो निर्णित-ऋणी सुरक्षित है। [473 जी]

तत्काल मामले में, मूल डिक्री-धारक और निर्णित-ऋणी ने समनुदेशन के विलेख के तहत अपीलार्थियों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए मिलीभगत की थी और निष्पादन न्यायालय ने डिक्री की संतुष्टि की अनुमति देकर मौन रूप से अपनी

मंजूरी की मुहर दे दी थी। न्यायालय की प्रक्रिया को उपहास तक सीमित नहीं किया जा सकता है और सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। [472 सी]

द्वार बक्स सिरकर बनाम फटिक जाली आई.एल.आर. 26 कलकत्ता 250 @ 253,254; अवरपल्ली रामराव बनाम कनुमारलापुडी रंगनायकुलु और अन्य ए.आई.आर. 1964 ए.पी. 1; सदगोपा चरियार बनाम रघुनाथ चरियार आईएलआर. 33 मद्रास 62, स्वीकृत।

पुथियांडी माम्ड बनाम अवलिल मोइडिन आईएलआर 20 मद्रास 157, अस्वीकृत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1113/1976

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन द्वितीय अपील संख्या 2162/1974 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 16-4-1976 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा अपील।

जे. पी. गोयल और एस. के. जैन, अपीलार्थियों की ओर से।

पी. जी. गोखले और बी. आर. अग्रवाल, प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

चिनाप्पा रेड्डी, न्यायाधिपति.-

रतन लाल ने श्री राम को कुछ जमीन 10,000/- रुपये में 31 मार्च, 1960 के पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत बेच दी। 4 अप्रैल, 1960 को श्री राम ने दो साल की अवधि के भीतर भुगतान करने पर 15,000/- रुपये की राशि के लिए संपत्ति का पुनर्ग्रहण करने का एक समझौता किया। रतन लाल ने करार के विशिष्ट अनुपालना के लिए प्रथम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, मेरठ के न्यायालय में वाद संख्या 18/1961

दायर किया और 17 अप्रैल, 1962 को एक डिक्री प्राप्त की। 5 सितंबर, 1963 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपील में इस डिक्री की पुष्टि की गई थी। 25 अप्रैल, 1963 को रतन लाल ने वर्तमान अपीलार्थियों, धनी राम गुप्ता और एक अन्य के पक्ष में डिक्री के तहत अपने अधिकार समनुदेशित किये। अपीलार्थियों ने 10 दिसंबर, 1963 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI, नियम 16 के तहत डिक्री के निष्पादन के लिए एक आवेदन दायर किया। आवेदन की सूचना श्री राम, निर्णित ऋणी के साथ-साथ मूल डिक्री धारक रतन लाल को जारी की गई थी। रतन लाल चुप रहे लेकिन 7 मार्च, 1964 को फैसले के देनदार श्री राम ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई कि निष्पादन आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। आवेदन समय-समय पर स्थगित किया जाता रहा। इस बीच, 26 मई, 1964 को मूल डिक्री धारक रतन लाल और निर्णित ऋणी श्री राम ने डिक्री की पूरी संतुष्टि दर्ज करने के लिए निष्पादन न्यायालय का रुख किया। यह कहा गया था कि पार्टियों ने एक समझौता किया था और निर्णित ऋणी द्वारा मूल डिक्री धारक को 7,000/- रुपये की नकद राशि का भुगतान करके डिक्री को संतुष्ट करने का प्रस्ताव किया गया था। राशि का भुगतान खुले न्यायालय में किया गया था और डिक्री की संतुष्टि को 27 मई, 1964 को निष्पादन न्यायालय द्वारा विधिवत दर्ज किया गया था, जिसने, हालांकि, यह कहा कि समझौते का धनी राम के अधिकारों, यदि कोई हो, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसने पहले ही 25 अप्रैल, 1963 के समनुदेशन के विलेख के अनुसार निष्पादन आवेदन दायर कर दिया था। इसके बाद, अपीलार्थियों द्वारा दायर निष्पादन आवेदन पर विचार किया गया और 9 अक्टूबर, 1964 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि निर्णित ऋणी द्वारा मूल डिक्री-धारक को उसके साथ समझौता करके संतुष्ट करने के बाद समनुदेशिती को डिक्री को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं था। अपील पर विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मेरठ ने निर्धारित किया कि अपीलकर्ता समनुदेशकों को डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार है और उनके अधिकार को निर्णित ऋणी और मूल डिक्री धारक के बीच समनुदेशन की तारीख

के बाद और समनुदेशन की सूचना के साथ किए गए सांठगांठ वाले समझौते से पराजित नहीं किया जा सकता है। विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष उठाए गए तर्कों में से एक यह था कि सौंपे गए तथाकथित विलेख का वास्तव में अपीलार्थियों को डिक्री सौंपने का प्रभाव नहीं था। उस तर्क को विद्वान जिला न्यायाधीश ने भी नकार दिया था। निर्णित ऋणी द्वारा उच्च न्यायालय में आगे की अपील पर, यह निर्धारित किया गया कि डिक्री के समनुदेशक को डिक्री को निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि कार्य को न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता था, तब तक यह माना जाता था कि मूल डिक्री धारक डिक्री को निष्पादित करने के लिए खुला था; यह निर्णित ऋणी के लिए भी खुला था कि वह डिक्री धारक को भुगतान करके या अन्य समायोजन द्वारा डिक्री को पूरी तरह से संतुष्ट कर सके। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर कोई राय व्यक्त नहीं की कि क्या समनुदेशन विलेख ने डिक्री धारक का अधिकार अपीलार्थियों को सौंपा है। डिक्री के समनुदेशकों ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद इस अपील को प्राथमिकता दी है।

यहां तक कि तथ्यों का बयान भी यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि कैसे मूल डिक्री-धारक और निर्णित ऋणी ने अपीलार्थियों को समनुदेशन के विलेख के तहत उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए मिलीभगत की है और कैसे निष्पादन न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद डिक्री की संतुष्टि की अनुमति देकर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी है कि डिक्री पहले ही निर्णित ऋणी की जानकारी को सौंप दी गई थी। न्यायालय की प्रक्रिया को उपहास तक सीमित नहीं किया जा सकता है और हमें नहीं लगता कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपील के तहत निर्णय के समर्थन में श्री डी. बनाम पटेल और निर्णित-ऋणी के विद्वान अधिवक्ता श्री गोविंद दास के तर्क के बावजूद ऐसा करने की अनुमति देती है। उनका निवेदन था कि डिक्री के समनुदेशक को

तब तक कोई अधिकार नहीं था जब तक कि कार्य को न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती। सार में, विद्वान अधिवक्ता का निवेदन था कि न्यायालय द्वारा मान्यता ने कार्य को पूरा किया और समनुदेशिती को डिक्री को निष्पादित करने का अधिकार दिया।

आइए हम जांच करें कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुत करने को उचित ठहराते हैं। धारा 2 (3) "डिक्री-धारक" को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है"। धारा 51 में प्रावधान है कि न्यायालय, डिक्रीदार के आवेदन पर विभिन्न तरीकों से डिक्री के निष्पादन का आदेश दे सकेगा। धारा 146 में प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है या आवेदन किया जा सकता है, वहां उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध यह कार्यवाही की जा सकेगी या आवेदन किया जा सकेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश XXI डिक्रीयों और आदेशों के निष्पादन से संबंधित है और आदेश XXI नियम 2 विशेष रूप से न्यायालय से भुगतान या समायोजन और न्यायालय द्वारा पूरे या आंशिक रूप से डिक्री की संतुष्टि की रिकॉर्डिंग के लिए प्रदान करता है। आदेश XXI नियम 16 जिसके साथ हम मुख्य रूप से संबंधित हैं, निम्नानुसार हैः

> "16. जहां किसी डिक्री का या, यदि कोई डिक्री दो या अधिक व्यक्तियों के पक्ष में संयुक्त रूप से पारित की गई है, तो डिक्री में किसी डिक्रीदार के हित का अंतरण लिखित समनुदेशन द्वारा या विधि की क्रिया द्वारा हो गया है वहां अंतरिती उस न्यायालय से, जिसने डिक्री पारित की थी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन कर सकेगा और डिक्री उसी रीति से और उन्ही शर्तों के अधीन रहते हुए इस प्रकार

निष्पादित की जा सकेगी मनो आवेदन इसे डिक्रीकर के द्वारा किया गया हो:

परन्तु, जहां डिक्री के पूर्वोक्त जैसे हित का अंतरण समनुदेशन द्वारा किया गया है वहां ऐसे आवेदन की सूचना अन्तरक और निर्णीतऋणी को दी जाएगी और जब तक न्यायालय ने डिक्री के निष्पादन के बारे में उनके आक्षेपों को (यदि कोई हो) n सुन लिया हो जब तक वह निष्पादित नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी के जहां दो या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध धन के सन्दे की डिक्री उनमें से एक को अंतरित की गई है, वहां वह अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पादित नहीं की जाएगी।"

"(स्पष्टीकरण-उत्सर्जित) "।

हम आदेश XXI नियम 16 को प्रतिवादी के लिए विद्वान अधिवक्ता की मूल धारणा के लिए कोई आधार प्रस्तुत करने के रूप में पढ़ने में असमर्थ हैं कि एक डिक्री में संपत्ति समनुदेशन के तहत अंतरण को तब तक नहीं जाती जब तक कि अंतरिती को न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। एक समनुदेशन लेख के पक्ष ऐसे संपत्ति को अंतरण करने का इरादा रखते है, तो डिक्री में संपत्ति को समनुदेशन के विलेख के तहत अंतरिती को अंतरण किया जाना चाहिए यह अंतरण न्यायालय की मान्यता पर निर्भर नहीं करता है। आदेश XXI नियम 16 न तो स्पष्ट रूप से और न ही निहितार्थ द्वारा परन्तु कि एक डिक्री का समनुदेशन तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक कि न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त न हो। यह सच है कि जबकि आदेश XXI नियम 16 एक अंतरिती को डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है, आदेश XXI नियम 16 का पहला परंतुक यह आदेश देता है कि ऐसे आवेदन की सूचना अंतरिती और

निर्णित-ऋणी को दी जाएगी और डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इसके निष्पादन पर उनकी आपत्तियों, यदि कोई हो, को नहीं सुनता है। यह कहना एक बात है कि जब तक अंतरिती और निर्णय-ऋणदाता की आपत्तियों को नहीं सुना जाता है, तब तक अंतरण द्वारा डिक्री का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, यह कहना पूरी तरह से अलग बात है कि जब तक आपत्तियों को नहीं सुना जाता है और निर्णय नहीं लिया जाता है, तब तक समनुदेशन का कोई परिणाम नहीं होता है। मूल डिक्री-धारक और अंतरिती के बीच अंतरण समनुदेशन के विलेख द्वारा प्रभावित होता है। यदि निर्णित ऋणी के पास अंतरण की सूचना है, तो उसे अंतरण के साथ समायोजन करके अंतरण के अधिकारों को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि निर्णित ऋणी को अंतरण की कोई सूचना नहीं है और अंतरण के आदेश XXI नियम 16 के तहत उसे नोटिस देने से पहले अंतरिती के साथ समायोजन करता है, तो निर्णित-ऋणी सुरक्षित है। हमारे विचार में यह स्पष्ट रूप से अच्छी समझ से अधिक कुछ नहीं है। द्वार बक्श सरकार बनाम फटिक जाली में, डिक्री धारक ने न्यायालय में प्रतिनिधित्व किया कि निर्णित ऋणी ने संदाय करके डिक्री को संतुष्ट किया था और चाहता था कि उसके निष्पादन आवेदन का तदनुसार निस्तारण किया जाए। इससे पहले कि संतुष्टि दर्ज की जा सके, मूल डिक्री-धारक से डिक्री का एक अन्तरक हस्तक्षेप करता है और दावा करता है कि संतुष्टि दर्ज नहीं की जा सकती है क्योंकि निर्णित ऋणी द्वारा मूल डिक्री धारक को कथित भुगतान से पहले उसके पक्ष में डिक्री का वैध अंतरण था। उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क यह था कि समनुदेशिती डिक्री की संतुष्टि की रिकॉर्डिंग को रोक नहीं सका क्योंकि उसने निष्पादन आवेदन दायर नहीं किया था और अपने पक्ष में समनुदेशन को मान्यता दी थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः

> "संहिता में डिक्री के समनुदेशन को स्पस्ट रूप से ददार्भित करने वाला एकमात्र प्रावधान धारा 232 में निहित है, और इसमें कोई संदेह नहीं

है कि एक ऐसे मामले पर विचार किया जाता है जिसमें समनुदेशन निष्पादन के लिए आवेदन करता है। ऐसे मामले में न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो डिक्री धारक और निर्णित-ऋणी को नोटिस देने के बाद, समनुदेशिती द्वारा डिक्री को निष्पादित करने की अनुमति दे सकता है। यदि, चाहे कभी भी, डिक्री धारक द्वारा निष्पादन में कोई कार्य लंबित है, तो मुझे संहिता में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है जो संहिता को अन्तरक को निष्पादन के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता देने से रोकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिक्री को निष्पादित करने से पहले न्यायालय की मान्यता आवश्यक है, लेकिन यह लिखित कार्य है न कि मान्यता जो उसे कानून में अंतरिती बनाती है। निष्पादन के लिए एक औपचारिक आवेदन करने के लिए अंतरिती की चूक, यदि यह एक चूक थी, केवल प्रक्रिया की एक त्रुटि थी और मामले के गुण-दोष को प्रभावित नहीं करती है .... प्रतिवादी के लिए तर्क दिया जाता है कि अंतरिती का अधिकार पूर्ण नहीं था क्योंकि अंतरण की स्पष्ट सूचना निर्णित-ऋणी को नहीं दी गई थी। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अंतरणकर्ता और अंतरिती के बीच अंतरण, लिखित समनुदेशन द्वारा प्रभावित होता है। यदि निर्णित ऋणी को अंतरण की कोई सूचना नहीं थी और अन्यथा इसके बारे में अनजान होने के कारण उसने डिक्री धारक को पैसे का भुगतान किया, तो भुगतान निश्चित रूप से एक अच्छा भुगतान था, और उसे फिर से अंतरिती के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।"

हम कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत मामलों में से एक, अरवापल्ली रामराव बनाम कनुमारलापुडी रंगनायकुलु और अन्य में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने पुथियांडी मामद बनाम अवलिल मोइदीन में की गई टिप्पणियों से असहमति जताई और सदगोपा चरियार बनाम रघुनाथ चरियार में की गई टिप्पणियों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि जब एक डिक्री को लिखित रूप में समनुदेशन द्वारा अंतरण किया गया था, तो समनुदेशन के समय अंतरिती को पारित डिक्री में संपत्ति को अंतरित किया गया था और समनुदेशन के लेनदेन को पूरा करने के लिए न्यायालय की मान्यता आवश्यक नहीं थी, लेकिन समनुदेशन के डिक्री-धारक को निष्पादन के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाने की आवश्यकता थी। हम सहमत हैं।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कादिर मीरा साहिब बनाम पीर मोहम्मद (3), सीएच. मोहम्मद इशरत अली और अन्य बनाम मोलवी सैयद रज़ा (4) और दुव्वुरू बालासुब्रमण्य रेड्डी बनाम दुव्वुरू मुनुसामी रेड्डी और अन्य (5) पर भरोसा किया। हम नहीं समझते कि इन मामलों का विस्तार से उल्लेख करना हमारे लिए आवश्यक है। सीएच. मोहम्मद इशरत अली और अन्य बनाम मोलवी सैयद रजा और दुव्वुरू बालासुब्रमण्य रेड्डी बनाम दुव्वुरू मुनिस्वामी और अन्य (ऊपर) में मूल उपधारणा यह थी कि अंतरण केवल न्यायालय द्वारा मान्यता पर पूरा किया गया था। हमने बताया है कि ऐसा नहीं है। सीएच. मोहम्मद इशरत अली और अन्य बनाम मोलवी सैयद रज़ा (ऊपर) में कुछ टिप्पणियां हैं जो प्रतिवादी के लिए सहायक हैं लेकिन वर्तमान में विचाराधीन प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ और हमें इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय यह मानने में गलत था कि निर्णय-देनदार और अंतरणकर्ता डिक्री-धारक के बीच डिक्री का समायोजन आदेश XXI नियम 16 के तहत आवेदन की सूचना अंतरणकर्ता को दिए जाने के बाद भी और निर्णय-देनदार ने अंतरणकर्ता द्वारा डिक्री के निष्पादन पर रोक लगा दी। यह प्रश्न कि क्या समनुदेशन विलेख के तहत डिक्री का कोई अंतरण किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा तय नहीं किया गया था और इसलिए हम अपील को स्वीकार करते हैं और मामले को केवल इस प्रश्न पर निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को प्रतिप्रेषित करते हैं। अपील को लागत के साथ स्वीकार किया जाता है जैसा कि संकेत दिया गया है।

एनवीके.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****